यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के माह 04.2012 से 10.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 02.11.2017 से 06.11.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डीडीहाट विकासखण्ड आता है । चिकित्सालय में आये रोगियों को समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करवाना कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2012-13	107.68	98.14	205.16	188.48	312.84	286.62	0	26.22
2013-14	93.35	90.02	222.11	196.9	315.46	286.92	0	28.54
2014-15	148.45	128	206.68	200.69	355.13	328.69	0	26.44
2015-16	123.63	123.63	168.58	168.58	292.21	292.21	0	0
2016-17	124.92	124.92	203.99	203.99	328.91	328.91	0	0
2017-18 (till the month 09.2017)	0	0	266.5	225.85	266.5	225.85	0	40.65

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष		**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (till 09.2017)**
प्रारम्भिक अवशेष		वाद सं. 85/12 के अंतर्गत समस्त अभिलेख थाना कोतवाली पिथौरागढ़ के अधीन संरक्षित है ।	4.50	4.96	6.95	8.04	7.65
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	(क) केंद्रान्श		24.82	29.30	35.78	78.55	15.28
	(ख) राज्यांश		0	0	0	0	0
	(ग) अन्य श्रोतों से		0	0	0	0	0
कुल प्राप्तियाँ			29.32	34.26	42.73	86.59	22.93
वर्ष के दौरान कुल व्यय			25.12	28.28	36.04	77.15	37.27
अंतिम अवशेष			4.20	5.98	6.69	9.44	-14.34

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केन्द्रीय योजनाओं द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
b).महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
c).निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
d). मुख्य चिकित्सा अधिकारी
e). अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
f). प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
g). चिकित्सा अधीक्षक
h). वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
i). चिकित्सा अधिकारी
j). मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
k). वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
l). प्रशासनिक अधिकारी
m). प्रधान सहायक
n). वरिष्ठ सहायक
o). कनिष्ठ सहायक
p). चतुर्थ श्रेणी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2012 से 10.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण

प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04.2012; 08.2017 एवं 09.2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर-1</u>:- रु 1.50 करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ की रोकड़बही की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विस्तृत जाँच हेतु चयनित माहों अप्रैल 2017, अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2013 में BM -05 में दर्शित कुल व्यय **रू 150,09,953/-** की नेट धनराशि (Net Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था (विवरण संलग्न)। साथ ही, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित भी नहीं किए गये थे।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः रु 1.50 करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

व्यय नेट धनराशि (Net Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। विवरण निम्नवत है :-

(रु में)

क्रम संख्या	दिनांक	वाउचर नंo	नेट व्यय धनराशि	Remark, if any
1	13.04.2017	A22100052	106189	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
2	13.04.2017	A22100053	46548	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
3	13.04.2017	A22100054	156244	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
4	13.04.2017	A22100055	437198	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
5	13.04.2017	A22100056	139806	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
6	13.04.2017	A22100057	19291	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
7	13.04.2017	A22100058	125422	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
8	13.04.2017	A22100059	21999	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
9	13.04.2017	A22100060	126432	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
10	13.04.2017	A22100061	330615	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
11	13.04.2017	A22100062	223622	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
12	13.04.2017	A22100063	21294	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
13	13.04.2017	A22100064	136957	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
14	13.04.2017	A22100065	69726	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
15	13.04.2017	A22100066	283023	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
16	13.04.2017	A22100067	139806	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
17	13.04.2017	A22100068	79454	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
18	13.04.2017	A22100069	83444	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
19	13.04.2017	A22110011	532639	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
20	13.04.2017	A22110012	651946	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
21	13.04.2017	A22110013	495476	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
22	18.04.2012	A22110015	214097	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
23	18.04.2012	A22110016	89131	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
24	30.04.2012	A22100117	106189	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
25	30.04.2012	A22100118	46548	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
26	30.04.2012	A22100119	143844	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
27	30.04.2012	A22100120	434692	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
28	30.04.2012	A22100122	139806	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
29	30.04.2012	A22100124	19291	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
30	30.04.2012	A22100125	125422	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
31	30.04.2012	A221100125	532639	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
32	01.08.2017	A22100001	54630	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
33	16.08.2017	A22100039	206815	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
34	16.08.2017	A22100040	121576	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
35	16.08.2017	A22100041	583868	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
36	16.08.2017	A22100042	28732	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
37	16.08.2017	A22100043	191404	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
38	16.08.2017	A22100044	133081	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें

39	16.08.2017	A22100045	27692	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
40	16.08.2017	A22100046	188513	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
41	16.08.2017	A22100047	118456	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
42	16.08.2017	A22100048	66120	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
43	16.08.2017	A22100049	58200	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
44	16.08.2017	A22100050	26754	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
45	16.08.2017	A22110010	823184	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
46	16.08.2017	A22110011	812990	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
47	23.08.2017	A22100059	172192	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
48	16.08.2017	A22100089	107945	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
49	31.08.2017	A22100128	87462	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
50	31.08.2017	A22100129	206815	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
51	31.08.2017	A22100131	218058	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
52	31.08.2017	A22100132	28732	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
53	31.08.2017	A22100133	132981	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
54	31.08.2017	A22100134	515468	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
55	31.08.2017	A22110037	822684	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
56	03.09.2013	A22100031	143694	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
57	03.09.2013	A22100032	336928	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
58	03.09.2013	A22100033	189657	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
59	03.09.2013	A22100034	75467	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
60	03.09.2013	A22100035	23586	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
61	03.09.2013	A22100036	147408	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
62	03.09.2013	A22110007	605004	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
63	28.09.2013	A22100171	126888	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
64	28.09.2013	A22100172	153501	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
65	28.09.2013	A22100173	344950	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
66	30.09.2013	A22100178	192076	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
67	30.09.2013	A22100180	78861	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
68	30.09.2013	A22100182	23586	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
69	30.09.2013	A22100183	147408	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
70	30.09.2013	A22110038	607797	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
		Total =	**150,09,953/-**	

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-2 :-जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में रु 47.88 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना ।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two instalment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अवधि 04.2012 से 10.2017 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 2,442 लाभार्थियों एवं 2,294 आशाओं को क्रमशः रुपये 34,19,800/- लाख एवं रुपये 13,68,650/- लाख का भुगतान किया गया । अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जननी सुरक्षा योजना का अप्रैल 2005 से क्रियान्वित होने के बावजूद भी शत-प्रतिशत प्रकरणों में बिना ID संलग्न, JSY कार्ड, प्रसव के दिन भरे गये थे । समस्त प्रकरणों में भुगतान हेतु बनाई गई " JSY रजिस्टर" मे लाभार्थियों को चेक प्रदान किए जाने की तिथि दर्शाये जाने का कोई स्तम्भ नहीं बनाया गया था । इस प्रकार प्रविष्टियां न होने के कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि लाभार्थियों को किन- किन तिथियों मे एवं कितनी देरी से चेक हस्तगत किया गया था । आशाओं को दो किस्तों के बजाय एक ही किस्त में भुगतान किया गया था । इसके अतिरिक्त प्राय: यह भी पाया गया कि जारी चेको को लाभार्थी के बजाय अन्य को हस्तगत किया गया था । 31.10.2017 की तिथि में प्राप्त Reconciliation विवरण में 31.03.2017 की तिथि में धनराशि रु 2,55,199/- एवं दिनांक 11.01.2017 से 28.07.2017 तक 28 लाभार्थियों को 39,200/- (1400x28), के दिनांक 11.01.2017 से 28.07.2017 तक के, चेक जारी किए गए थे, जिनकी वैधता अवधि 03 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो चुकी थी। अतएव कुल धनराशि 2,94,399/- से लाभार्थी वंचित रह गए। लेखापरीक्षा माह 10.2017 तक उक्त धनराशि रु 2,94,399/- को कार्यालय द्वारा अपने रोकड़-बही के RECEIPT Side में भी नहीं किया था । इस प्रकार दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अंतर्गत रुपया 47,88,450/- लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में JSY के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं धनराशि रु 2,94,399/- को रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में प्रविष्टि कर दी जायेगी*" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (April 2005) बीत जाने के बाद भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, JSY की कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से लाभार्थिओं को भुगतान किया जा रहा था।

अत: जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में रु 47.88 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 1:- धनराशि रु 4.05 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ की डेड-स्टाक अभिलेखों एवं वाहनो से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कुल पुस्तकीय धनराशि रु 4,05,088/- के निम्नलिखित विवरण के वाहन एवं अन्य सामग्रियाँ 01 से 12 वर्ष से अनुपयोगी पड़े हुये थे (विवरण संलग्न)। उक्त सामग्रियाँ मरम्मत योग्य नहीं हैं। उक्त विवरण की सामग्रियों हेतु निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी करने की प्रक्रिया माह 10.2017 तक सम्पन्न नहीं की गई थी एवं इस सम्बन्ध में कार्यालय स्तर से कोई प्रयास भी नहीं किया गया था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "इस संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, उक्त सामग्रियों को और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था।

अत: धनराशि रु 4.05 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरणः-

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	पुस्तकीय दर (रु)	कुल पुस्तकीय मूल्य (रु)	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	सामग्री के अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का कारण
Radiant Heat	1	29500.00	29500.00	04.05.2009	04.08.2005	खराब
Nebulizer	2	2800.00	5600.00	02.05.2009	12.10.2016	खराब
ECG Machine	1	3000.00 (approx.)	3000.00	17.07.2001	10.02.2010	खराब
Section Appretus	1	11900.00	11900.00	18.05.2009	14.08.2016	खराब
Foot apparatus	1	1450.00	1450.00	20.07.2012	19.09.2015	खराब
Dental Chair	1	50000.00	50000.00	30.03.2002	08.02.2010	खराब
Phototherapy Unit	1	23138.00	23138.00	14.12.2005	10.08.2014	खराब
Gme 15 MA Dental X-Ray Unit	1	40000.00	40000.00	31.03.2002	2014	खराब
वाहन का नाम	पंजीकरण संख्या	क्रय तिथि	क्रय मूल्य (रु में)	वर्तमान स्थिति	वाहन की वर्तमान रीडिंग (Approx. in Km)	किस अधिकारी को आवंटित है
MARUTI OMNI AMBULANCE	UA050390	2002 approx.	270000	Off road	52,638 km	खराब एवं मरम्मत योग्य नहीं है ।
		योग =	4,34,588/- - 29,500= 4,05,088/-			

भाग – दो (ब)

<u>प्रस्तर</u>:- 2 धनराशि रु 3.11 लाख के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहना।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के उपकरणों सम्बन्धी लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2000 से 2016 के मध्य क्रय किये गये कुल क्रय धनराशि रु 3,10,810/- के चिकित्सा उपकरण (विवरण संलग्न), वर्तमान समय में भी अनुपयोगी पड़े हुये पाये गये। चिकित्सा उपकरण 1 से 10 वर्ष से, विशेषज्ञ व टेक्नीशियन न होने एवं अन्य कारणों से निष्क्रिय पड़े हुये थे । इन चिकित्सा उपकरणों का उपयोग यदि चिकित्सालय में विशेषज्ञ व टेक्नीशियन न होने एवं अन्य कारणों से उपयोग नहीं किया जा रहा था तो उनके तैनाती हेतु प्रयास किये जाने चाहिए अथवा उन चिकित्सा उपकरणों को अन्य चिकित्सालयों में जहाँ उनकी आवश्यकता होती, स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया कि "टैक्निशियन की तैनाती हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी व महानिदेशालय से पत्राचार किया गया है, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि चिकित्सालय प्रशासन की उदासीनता के कारण धनराशि रु 18.65 लाख के उपकरण 1 से 10 वर्ष से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

अत: धनराशि रु 3.11 लाख के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>List of idle Medical Equipments:</u>

चिकित्सा उपकरण का नाम	संख्या	पुस्तकीय मूल्य (रु)	कुल पुस्तकीय मूल्य (रु)	क्रय करने की तिथि (यदि स्वयं क्रय न	उपकरण के वर्तमान स्थिति	यदि अनुपयोगी/ निष्क्रिय है तो	अनुपयोगी/ निष्क्रिय रहने

				किया गया हो तो प्राप्ति स्रोत)	(उपयोगी या अनुपयोगी)	तिथि, जबसे उपकरण अनुपयोगी है।	का कारण
Emergency Recuseltation kit	1	111955.00	111955.00	23.07.2015 सी0एम0एस0डी0 से प्राप्त हुआ ।	अनुपयोगी	23.07.2015	डॉक्टर/ फिजिशियन के अभाव
Emergency Recuseltation kit	1	111955.00	111955.00	30.06.2016 सी0एम0एस0डी0 से प्राप्त हुआ ।	अनुपयोगी	30.06.2016	डॉक्टर/ फिजिशियन के अभाव
X-ray Machine 100 MA with Herigental Bucky Table Assescary	1	75000.00 (Approx.)	75000.00	15.12.2000 Prime Emazin System Gali No 112 praget MD state Amli Silpaba ssa 1b73 Lajpathnagar New	अनुपयोगी	2007	टैक्नीशियन के अभाव में
Section	1	11900.00	11900.00	18.05.2009	अनुपयोगी	2014	टैक्नीशियन के अभाव में
		Total =	**3,10,810/-**				

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN

प्रथम लेखापरीक्षा

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
डॉ0 एस. एस. दुग्ताल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.04.2012 से 30.04.2012 तक
डॉ0 एम. एस. पांगती	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.05.2012 से 12.11.2012 तक
डॉ0 जी. बी. बिष्ट	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	27.11.2012 से 26.09.2013 तक
डॉ0 यू . एस. अधिकारी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	27.09.2013 से 05.11.2014 तक
डॉ0 बी.एम.एस.तोलिया	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.11.2014 से 22.06.2015 तक
डॉ0 यू . एस. अधिकारी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	23.06.2015 से 02.12.2016 तक
डॉ0 उषा गुंज्याल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	03.12.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडीहाट, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे “उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून” को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र